पत्रांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-15/2017..........10991(अ) 8.12.17

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

निबंधित

संवेदक, मैक्रो रंजन कंसट्रक्शन प्रा0 लि0, माँ उषा कम्पलेक्स, विदुपुर, जिला-वैशाली (बिहार) निबंधन सं0-प्रथम(कंपनी)-07(भवन)/2012 द्वारा हाजीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन, राघोपुर, वैशाली के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) में निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-08.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य की निविदा में निष्पादन के क्रम में वित्तीय बीड की समीक्षा की गई। समाक्षोपरांत पाया गया कि विषयांकित कार्य की निविदा में एक मात्र निविदाकार मे० मैक्रो रंजन कंसट्रक्शन प्रा0 लि0 वैशाली द्वारा भाग लिया गया। इनके द्वारा अपलोड किए गए कागजातों को डाउनलोड कर तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा समीक्षा किया गया। समिति द्वारा जाँचोपरांत पाया गया कि इन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक-7829 दिनांक-03.07.2017 द्वारा डिबार किया गया है। अतः इन्हें नॉन रिस्पोन्सिव पाया गया एवं तकनीकी बीड मे असफल घोषित किया गया।

दिनांक-08.09.2017 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त संवेदक के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा डिबार किए जाने के बावजूद गलत शपथ पत्र देने के आरोप में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-11(vii) के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता (उत्तर) के पत्रांक-2008 दिनांक-20.09.2017 द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का अनुशंसा की गई है।

दिनांक-09.10.2017 को अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-9252 दिनांक-13.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

दिनांक-23.10.2017 को संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-06.11.2017 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई है। उक्त बैठक में समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(vii) के आलोक में उनके निबंधन सं0-प्रथम(कंपनी)-07(भवन)/2012 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, मैक्रो रंजन कंसट्रक्शन प्रा0 लि0, माँ उषा कम्पलेक्स, विदुपुर, वैशाली के निबंधन सं0-प्रथम(कंपनी)-07(भवन)/2012 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/- 8/12/17

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-15/2017..10991(अ) पटना, दिनांक-..8.12.17

प्रतिलिपिः-संवेदक, मैक्रो रंजन कंसट्रक्शन प्रा0 लि0, माँ उषा कम्पलेक्स, विदुपुर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 8/12/17

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-15/2017 10991(भ) पटना, दिनांक- 8.12.17

प्रतिलिपिः-मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-15/2017 10991(भ) पटना, दिनांक- 8.12.17

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-15/2017 10991(भ) पटना, दिनांक- 8.12.17

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव